भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2279

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक

2279. श्रीमती लवली आनंदः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एवीएचआईएम) के अंतर्गत बिहार राज्य के शिवहर जिला अस्पताल में 50-100 बिस्तर वाला क्रिटिकल केयर/संक्रामक रोग ब्लॉक स्थापित करने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की है, इसकी स्थिति क्या है और निर्धारित समय-सीमा क्या है,

(ख) यदि हाँ, तो स्वीकृत लागत, स्थिति और निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जिले में ई-संजीवनी से जुड़े स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की संख्या कितनी है और अब तक शिवहर में पूर्ण किए गए कुल टेली-परामर्शों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या वे एचडब्ल्यूसी विशेषज्ञ रेफरल और देखभाल की निरंतरता हेतु तृतीयक अस्पतालों (जैसे डीएमसीएच मुजफ्फरपुर/एम्स पटना) से औपचारिक रूप से जुड़े हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त जिले में आरंभ ऐसे एकीकरण की स्थिति क्या है और यह किस सीमा तक किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के कुझ घटक (सीएस) शामिल हैं, जिसके लिए योजना अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए परिवव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

इस योजना के सीएसएस घटक के तहत, बिहार राज्य के लिए योजना अवधि के दौरान 2546 भवन-रहित एसी-एएएम, 333 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट (बीपीएचयू), 38 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएच), और 38 सघन चिकित्सा ब्लॉक (सीसीबी) स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए 3389.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बिहार राज्य को पांच वर्ष की अवधि (अर्थात, वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, और 2025-26) के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार 2546 भवन-रहित एसी-एएएम, 158 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट (बीपीएचयू), 38 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालओं (आईपीएचएच), और 38 सघन चिकित्सा ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए 3109.33 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
शिवहर जिले में, पीएम-एबीएचआईएम के सीएस घटक के तहत, राज्य ने 50/100 बिस्तरों वाले सघन चिकित्सा /संक्रामक रोग ब्लॉक की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी नहीं दी है।

(ग): कुल 93 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र सुदूर-परामर्श सेवाओं से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2021 से 8 दिसंबर 2025 तक, इन केंद्रों के माध्यम से 2,48,237 परामर्श दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): रेफरल दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एचडब्लूसी) एक संरचित रेफरल प्रणाली के माध्यम से उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। एचडब्लूसी पहले संपर्क केंद्र के रूप में काम करते हैं, और आवश्यकतानुरूप रोगियों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है, जहाँ से, रोगी की हालत के आधार पर, जिला अस्पताल और आगे मेडिकल कॉलेज/ एम्स / डीएमसीएच में विशेषीकृत चिकित्सा के लिए रेफर किया जाता है। यह टियर वाला सिस्टम विशेषीकृत सेवाओं तक समय पर पहुँच और चिकित्सा की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

यह एकीकरण (इंटीग्रेशन) एक औपचारिक रेफरल प्रणाली के ज़रिए लागू किया जाता है, जिसमें चिकित्सीय विवरणों के साथ रेफरल पर्ची जारी करना, रेफर करने वाले और स्वीकार करने वाले दोनों संस्थानों में रेफरल रजिस्टर बनाए रखना, और प्राप्त की जाने वाली सुविधा के साथ पहले से संपर्क करना शामिल है। रेफरल के लिए एम्बुलेंस लिंकेज सहित रोगियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अस्पताल रेफर किए गए मामलों को रेफरल-इन रजिस्टर में दर्ज करते हैं और उनको व्यवस्थित करते हैं और पहल करने वाले केंद्र को वापस रेफर करते हैं / फीडबैक देते हैं। यह प्रणाली स्वास्थ्य परिचर्या के सभी स्तरों पर समन्वयपूर्ण सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करती है और प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा और आगे के उपचार की निरंतरता को में सहायता करती है।

*****